पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–12/2016 113

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 02-09-16

विषय :– मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–35–ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50C470200796350545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2016–17** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय	796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना /35–ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश)	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य/ 50C470200796350545	**219.251**

आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ उन्नीस लाख पचीस हजार एक सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2016–17** के **संशोधित बजट उपबंध ₹ 3611.00 लाख (₹ छत्तीस करोड़ ग्यारह लाख)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1363(वि०) दि० 09.05.2016 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यो के लिए किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण **प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट **(http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 2/9

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 113   राँची, दिनांक :– 02-09-16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/सरायकेला–खरसावाँ/गुमला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 2/9

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 113   राँची, दिनांक :– 02-09-16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

Sukhdev 2/9
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक – 113 / राँची, दिनांक – 02-09-16 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष–35–ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश)
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड–50C470200796350545

संशोधित बजट उपबंध ₹ 3611.00 लाख (₹ छत्तीस करोड़ ग्यारह लाख) मात्र।

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन: पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची (RNCMIR001)	राँची	अनगढ़ा	लेंगदुवा नाला पर श्रृं० चेकडैम	23/03.12.10	204.320	160.275	0.000	149.291	149.291	54665	Phase-III
2		राँची	अनगढ़ा	जोन्हा नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	162.909	143.818					
3		राँची	सिल्ली	जोवला नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	62.248	49.388					
4		राँची	सिल्ली	नागेडिह नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	223.970	188.254					
5		राँची	सिल्ली	पातरहातु नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	159.947	139.316					
6		राँची	सिल्ली	भंडरा नाला श्रृं० चेकडैम	" "	510.000	446.132					
7		राँची	सिल्ली	आमदह नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	215.099	159.575					
8		राँची	बुढ़मू	भुर नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	296.404	275.616					
9		राँची	बुड़मू	बंसरी नाला पर श्रृं० चेकडैम सं०–2	" "	278.420	215.194					
10		राँची	चान्हो	धरहा नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	245.110	200.195					
11		राँची	सिल्ली	चाटम्बाटी नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	260.717	215.973					
12		राँची	सिल्ली	उडनगढ़ा नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	212.912	231.745					
13		राँची	सिल्ली	खेदाडीह श्रृं० चेकडैम	" "	486.741	451.409					
							योग	0.000	149.291	149.291		
1	लघु सिंचाई प्रमडल, सरायकेला (SKLIRR033)	सरा०–खर०	गम्हरिया	रागरा नाला पर श्रृ०चेकडैम	23/03.12.10	133.300	117.080	0.000	15.980	15.980	54667	Phase-III
3		सरा०–खर०	ईचागढ़	बासा हातु देवला नाला पर श्रृ०चेकडैम	" "	133.834	108.750					
4		सरा०–खर०	ईचागढ़	सीता नाला पर श्रृ०चेकडैम	" "	142.691	122.092					
5		सरा०–खर०	गम्हरिया	ईचागढ़ में स्थानीय नाला पर श्रृ०चेकडैम	" "	117.820	114.850					
6		सरा०–खर०	गम्हरिया	गिदिवेरा के नजदिक स्थानीय नाला पर श्रृ०चेकडैम	" "	120.771	117.260					
							योग	0.000	15.980	15.980		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	घाघरा	जोवा नाला पर श्रृं० चेकडैम	23/03.12.10	183.458	197.190	0.000	53.980	53.980	54668	Phase-III
2		गुमला	विशुनपुर	बेती नदी पर श्रृं० चेकडैम	" "	132.520	140.880					
3		गुमला	कमडारा	गारा नाला पर श्रृं० चेकडैम	" "	208.078	175.650					
							योग	0.000	53.980	53.980		
							सकल योग	0.000	219.251	219.251		

आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ उन्नीस लाख पचीस हजार एक सौ मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह) 2/9/16
प्रधान सचिव